रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032024-252778
CG-DL-E-09032024-252778

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1104] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2024/फाल्गुन 18, 1945
No. 1104] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2024/PHALGUNA 18, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

का.आ. 1166(अ).—यतः, मै. साल्टायर डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने कर्नाटक राज्य के राचनाहल्ली गाँव, नागावारा, जिला बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था ;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2137(अ) दिनांक 13 जून, 2016 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 4.05 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. साल्टायर डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 4.05 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, कर्नाटक सरकार ने उनके पत्र संख्या सीआई 127 एसपीआई 2023 दिनांक 13 नवम्बर, 2023 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। अनधिसूचना के बाद, भूमि का उपयोग आईटी बुनियादी ढांचे (गैर-एसईजेड) के निर्माण के लिए किया जाएगा;

और यतः, विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन ने उक्त विशेष आर्थिक जोन के 4.05 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अत: अब केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियोंका प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ. 1/9/2016-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2024

S.O. 1166(E).—Whereas, M/s. Saltire Developers Private Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Outer Ring Road, Rachenahalli Village, Nagavara, District Bengaluru, in the State of Karnataka;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 4.05 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 2137(E) dated 13th June, 2016;

AND, WHEREAS, M/s. Saltire Developers Private Limited has now proposed to de-notify the entire area of 4.05 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Karnataka has given No Objection Certificate to the proposal vide letter No. CI 127 SPI 2023 dated 13th November, 2023. Further, de-notified land will be utilized towards creation of IT infrastructure (Non-SEZ);

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 4.05 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.1/9/2016-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA